निगरानी 2460-I-15

समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. छत्रपाल तनय पुन्ना अहिरवार
2. गजराज तनय पुन्ना अहिरवार
3. चतुर्भुज तनय पुन्ना अहिरवार
   तीनों निवासी ग्राम गौना तह0पलेरा
   जिला-टीकमगढ़(म0प्र0) ....आवेदकगण

श्री डी. के. पाली द्वारा आज दि. 3.8.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-अपर कलेक्टर जिला-टीकमगढ़(म.प्र.) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला-टीकमगढ़ के रा0प्र0क्र0/16/स्व.निग,/वर्ष2013-14 में पारित आदेश दिनाँक 09.07.2015 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने ग्राम गौना तह0 पलेरा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) स्थित भूमि ख0नं0309/1/1 रकवा 0.800हे0 भूमि विक्रेता धनीराम तनय श्री रमला अहिरवार से दिनाँक 16.07.2013 को विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी एवं उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् दिनाँक 19.03.2014 को उक्त भूमि का नामांतरण आदेश पारित किया तदानुसार आवेदकगणों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये गये। आवेदकगणों का उक्त भूमि क्रय दिनाँक से वर्तमान दिनाँक तक कब्जा होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है किंतु उसी ग्राम के व्यक्ति भानसिंह यादव तनय श्री मोतीलाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2460-I/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	1— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16/स्व.निग./2013—14 मे पारित आदेश दिनांक 09/07/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है संहिता की धारा 165 (7—ख) के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता हैं परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विकय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदक की ओर से तर्क मे यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रय शुदा भूमि को शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 2002 को दिये जाने के उपरांत 10 वर्ष पश्चात् भूमि का विक्रय किया गया है इसी बीच पट्टेदार को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 10 वष बंटन पश्चात किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नहीं है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष	

[क्. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म. प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। 5—आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत कर्ता के आवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त किये जाने के उपरांत किया गया पाया जाता है ऐसी स्थिति मे किया गया अंतरण अवैद्य नही माना जा सकता अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 09/07/2015 निरस्त किया जाकर आवेदकगण के नाम नामांतरण आदेश दिनॉक 19/03/2014 पूर्वतः बहाल किया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	